कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्रीमती सुनीता मीणा, प्रधानाचार्य, सेठ सीताराम कयाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बसावा जिला झुन्झुनूं का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीयासर चौगान जिला बीकानेर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती सुनीता मीणा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 582/2021 सुनीता मीणा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 582/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2021 द्वारा अपीलार्थी श्रीमती सुनीता मीणा को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में दिनांक 25.02.2021 तक सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार 15 दिवस के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। उक्तानुसार अपीलार्थी के अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारित किये जाने तक विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का क्रियान्वयन माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित रखा गया।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि उनके पति का व्याख्याता के पद पर झुन्झुनूं जिले में स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति के तहत पति–पत्नी के राजकीय सेवा में होने के कारण एक ही जिले/स्थान पर पदस्थापित किये जाने के निर्देशों के चलते स्वयं को स्थगनादेश की पालना में पुनः सेठ सीताराम कयाल राउमावि बसावा जिला झुन्झुनूं में प्रधानाचार्य पद पर कार्यग्रहण करवाये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी वर्तमान में ऐसी कोई स्थानान्तरण नीति प्रभावी नहीं है जिसमें पति–पत्नी को एक ही जिले में पदस्थापित रखे जाने का प्रावधान हो। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 के अनुसार, जो कि पूर्व के समस्त दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण में जारी किये गए हैं, में राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता, शहीद की वीरांगना से प्राप्त आवेदनों में रिक्त पद पर प्राथमिकता से स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश प्राप्त थे। अपीलार्थी के प्रकरण में ऐसा कोई भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे इनके अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सके। अपीलार्थी को प्रशासनिक आधार पर योगकाल एवं यात्रा भत्ता अनुज्ञेय करते हुए स्थानान्तरित किया गया है। किसी भी लोकसेवक को एक ही स्थान पर बने रहने का कोई निहित अधिकार (VESTED RIGHT) नहीं है। सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार उन्हें राज्य में कहीं पर भी स्थानान्तरित/पदस्थापित किया जा सकता है। अन्यत्र स्थानान्तरित/पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता। अपीलार्थी राज्य सेवा की अधिकारी हैं और राज्य हित/विद्यार्थी हित/विभागीय प्राथमिकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता में उन्हें राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है।

उक्तानुसार, अपीलार्थी श्रीमती सुनीता मीणा, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य (सेठ सीताराम कयाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बसावा जिला झुन्झुनूं से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीयासर चौगान जिला बीकानेर) का अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाता है। चूंकि माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक ही विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का क्रियान्वयन स्थगित रखा गया था अतः अपीलार्थी श्रीमती सुनीता मीणा को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 04.01.2021 की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए तत्काल अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि सीयासर चौगान जिला बीकानेर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करे अन्यथा उनके विरूद्ध सीसीए नियमान्तर्गत विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/सुनीता मीणा/582/2021 **दिनांकः** 09.02.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।

2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर/चूरू संभाग, बीकानेर/चूरू।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर/झुन्झुनूं।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक बीकानेर/झुन्झुनूं।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सुनीता मीणा, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीयासर चौगान जिला बीकानेर को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)